

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19/07/2021

क्रमांक 1064/1644/2021/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नीलिमा जैन, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) खण्ड (ए) के अधीन उनके स्वयं के आवेदन पर दिनांक 31.07.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19/07/21
(श्वेतवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 19/07/2021

पृ.क्रमांक 1065/1644/2021/38/1
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय,
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
 3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल,
 5. जिला कोषालय अधिकारी, छिंदवाड़ा,
 6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर,
 7. प्राचार्य, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा
 8. संबंधित डॉ. नीलिमा जैन, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19/07/21
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग